12.3.22 पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।
रिपोर्ट परिवादी नाराजगी पत्र पेशकार सा. की
रिपोर्ट तलबाना वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व [illegible]
कार्यवाही के अवलोकन पर, वादी स्वीकार
किये जाने योग्य प्रतीत होने से, स्वीकार किया
जाता है। विद्वान [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
जावे [illegible] पत्रावली फैसल
शुमार की जाकर बाद नकलात दाखिल
दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:24:00 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 24/2022 तारीख दायरा 09.03.2022

उनवान

1. अमरलाल पुत्र पृथू उर्फ पृथ्वीलाल जाति कीर।
2. दुर्गाशंकर पुत्र पृथू उर्फ पृथ्वीलाल जाति कीर।
3. मांगीलाल पुत्र पृथू उर्फ पृथ्वीलाल जाति कीर।
4. हीराबाई पत्नी स्व0 पृथू उर्फ पृथ्वीलाल जाति कीर निवासीगण ग्राम चनावता तहसील सांगोद जिला कोटा। — वादीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। — प्रतिवादी

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट</u>

उपस्थित :–

श्री अशोक कुमार जैन (वकील वादीगण) दिनांक :– 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:24:00 IST
Reason: SelfAttested

——निर्णय——

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम चनावता पटवार हलका नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा में वादीगण की अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त खाते व कब्जे की खसरा न0 407 की 1.08 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है जो कि राजस्व रेकार्ड में वादीगण 1 ता 3 के पिता व 4 के पति के नाम से दर्ज है। उक्त राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पिता का नाम प्रभू पुत्र धन्ना दर्ज हो रहा है। इसके अतिरिक्त ग्राम ईदलपुर पटवार हलका श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में वादीगण के अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त खाते व कब्जे की खसरा न0 104 की 0.13 हैक्टर, खसरा न0 214 की 0.13 हैक्टर, खसरा न0 222 की 0.13 हैक्टर व खसरा न0 255 की 0.18 हैक्टर इस प्रकार कुल किता 4 की 0.57 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/2 दर्ज है। वादीगण को उक्त भूमि श्री पृथू उर्फ पृथ्वीलाल पुत्र धन्नालाल के स्वर्गवास दिनांक 30.11.2013 को होने के उपरान्त उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। वादीगण ने आगे कथन किया कि उन्होंने श्री पृथू उर्फ पृथ्वीलाल पुत्र धन्नालाल के स्वर्गवास के उपरान्त राजस्व खाते में नामान्तरण दर्ज करने के लिए हलका पटवारी जी को निवेदन किया था जिस पर उन्होंने वादीगण का नाम नामान्तरण दर्ज किये जाने का आश्वासन दे दिया था। वादीगण ने दिनांक 15.2.2022 को किसी कार्यवश अपने उक्त खाते की कृषि भूमियों की नकल लेने पर वादीगण की जानकारी में आया कि वादीगण का इन्तकाल ईदलपुर स्थित खसरा न0 104, 214, 222, 255 कुल 4 किता की 0.57 हैक्टर कृषि भूमि में तो दर्ज कर दिया है परन्तु ग्राम चनावता स्थित खसरा न0 407 की 1.08 हैक्टर कृषि भूमि में वादीगण का नाम दर्ज नहीं किया गया है। इसके सन्दर्भ में वादीगण ने हलका पटवारी जी से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता का नाम पृथू उर्फ पृथ्वीलाल पुत्र धन्नालाल है जबकि खसरा न0 407 की 1.08 हैक्टर कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramavtar Meena
Date: 2024.10.18 11:24:00 IST
Reason: SelfAttested

...मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रभू पुत्र धन्ना दर्ज हो रहा है इसलिए नामान्तरण दर्ज नहीं किया गया है, आप उपखण्ड अधिकारी महोदय के न्यायालय में कार्यवाही करके उक्त इन्द्राज को दुरस्त करवावे, इसके बाद ही आपके नाम का नामान्तरण दर्ज हो पायेगा। इसलिए वादीगण ने ग्राम चनावता स्थित खसरान0 407 की 1.08 हैक्टर कृषि भूमि में वादी कम 1 ता 3 के पिता व वादी न0 4 के पति के गलत नाम प्रभू पुत्र धन्ना को दुरस्त करवाकर पृथू उर्फ पृथ्वीलाल पुत्र धन्ना दर्ज करवाकर वादीगण के पक्ष में खातेदारी घोषणा की सहायता प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। उक्त पत्रावली दिनांक 12.3.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्यालय उपखण्ड न्यायालय सांगोद में रखी गई, प्रतिवादी ने उपस्थित होकर वाद पत्र को स्वीकार किया। हलका पटवारी से भी इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई जिसने भी अपनी रिपोर्ट में वाद पत्र में अंकित तथ्यों का समर्थन किया है व वादीगण की प्रार्थना को उचित बताया। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, रिपोर्ट हलका पटवारी तथा जवाब प्रतिवादी से यह जाहिर होता है कि वादीगण ने उनके वाद पत्र में जो कथन किये हैं वे सत्य हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से अंतिम रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि –

ग्राम चनावता पटवार हलका नाहरिया तहसील सांगोद में स्थित खसरा न0 407 की 1.08 हैक्टर कृषि भूमि में वादीगण कम 1 ता 3 के पिता का नाम प्रभू पुत्र धन्ना के स्थान पर पृथू उर्फ पृथ्वीलाल पुत्र धन्ना दर्ज किया जाकर वादीगण को मृतक पृथू उर्फ पृथ्वीलाल पुत्र धन्ना के स्थान पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी अनुक्रम में वादीगण के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में प्रभू पुत्र धन्ना के स्थान पर दर्ज किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:24:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

इन्द्राज दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:24:00 IST
Reason: SelfAttested